अदाणी ट्रांसमिशन (इंडिया) लिमिटेड

(अदाणी कॉरपोरेट हाउस, शांतिग्राम, वैष्णो देवी सर्कल के पास, एस. जी. हाईवे, खोडियार, अहमदाबाद, 382421)

1. उपरोक्त याचिकाकर्ता ने केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग, नई दिल्ली के समक्ष वित्तीय वर्ष 2019–20 से वित्तीय वर्ष 2023–24 की नियंत्रण अवधि के लिए टू अप और वित्तीय वर्ष 2024–25 से वित्तीय वर्ष 2028–29 के लिए टैरिफ निर्धारण हेतु याचिका दायर की है, जो इस हेतु है: (i) ±500 केवी बायपोल मुंद्रा – मोहिंदरगढ़ एचवीडीसी ट्रांसमिशन लाइन, जिसमें संबद्ध 400 केवी लाइनें, टर्मिनल सबस्टेशन और बे शामिल हैं (''परिसंपत्ति 1''), (ii) 400 केवी डी/सी मुंद्रा – देहगाम ट्रांसमिशन लाइन, जिसमें संबद्ध सिस्टम (''परिसंपत्ति 2'') शामिल है और (iii) मोहिंदरगढ़ सिरे पर मोहिंदरगढ़ – धनौंदा 400 केवी डी/सी लाइन सर्किट I और II में 12 ओम सीरीज लाइन रिएक्टर (''परिसंपत्ति 3'').
2. जनरेटिंग स्टेशन/ट्रांसमिशन सिस्टम के लाभार्थी इस प्रकार हैं: (1) पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ़ इंडिया लिमिटेड (2) नेशनल लोड डिस्पैच सेन्टर (3) नॉर्दन रीजनल लोड डिस्पैच सेन्टर (4) वेस्टर्न रीजनल पावर कमेटी (5) सेन्ट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी (6) गुजरात एनर्जी ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड (7) हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड (8) गुजरात ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड (9) महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रिब्यूशन कं. लिमिटेड (10) मध्य प्रदेश पावर मैनेजमेन्ट कंपनी लिमिटेड (11) एम.पी. औद्योगिक केन्द्र विकास निगम लिमिटेड (12) छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड (13) गोवा स्टेट इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेन्ट (14) दमण एंड दीव इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेन्ट (15) इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेन्ट ऑफ़ दादरा नगर हवेली (16) हैवी वॉटर प्रोजेक्ट्स, डिपार्टमेन्ट ऑफ़ एटॉमिक एनर्जी (17) जिन्दल पावर (18) टोरेन्ट पावर लिमिटेड (19) पीटीसी इंडिया लिमिटेड (20) हरियाणा पावर परचेज सेन्टर (21) राजस्थान पावर प्रोक्योरमेन्ट सेन्टर (22) जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (23) जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (24) अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (25) बीएसईएस यमुना पावर लिमिटेड (26) बीएसईएस राजधानी पावर लिमिटेड (27) टाटा पावर दिल्ली डिस्ट्रिब्यूशन लिमिटेड (28) न्यू दिल्ली म्युनिसिपल काउन्सिल (29) उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (30) उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (31) नॉर्थ सेन्ट्रल रेलवे (32) पंजाब स्टेट पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (33) पावर डेव्लपमेन्ट डिपार्टमेन्ट, जम्मू एंड कश्मीर (34) हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड (35) इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेन्ट यूटी चंडीगढ़ (36) नॉर्दन रीजनल पावर कमेटी (37) वेस्टर्न रीजनल पावर कमेटी (38) कानपुर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनी (39) राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड (40) दिल्ली ट्रांस्को लिमिटेड (41) सेन्ट्रल ट्रांसमिशन युटिलिटी ऑफ़ इंडिया लिमिटेड
3. लाइन की लंबाई, बे की संख्या, ट्रांसमिशन सिस्टम की ट्रांसफॉर्मेशन क्षमता:

मानदंड	परिसंपत्ति 1	परिसंपत्ति 2	परिसंपत्ति 3
±500 केवी बायपोल एचवीडीसी लाइन	990 कि.मी.		
400 केवी डी/सी लाइन	55 कि.मी.	434 कि.मी.	
33 केवी इलेक्ट्रोड लाइन	219 कि.मी.		
मुंद्रा मोहिंदरगढ़, भिवानी, सामी और देहगाम में बे की संख्या – 400 केवी ए/सी (जैसा कि अनुमोदित है) – 220 केवी ए/सी (जैसा कि अनुमोदित है)	17	13 2	
एचवीडीसी टर्मिनल स्टेशन	मुंद्रा, मोहिंदरगढ़ में 1 प्रत्येक		
मुंद्रा स्विचयार्ड	630 एमवीएआर		
मुंद्रा और सामी स्विचयार्ड		276 एमवीए, 846.4 एमवीएआर	
मोहिंदरगढ़ स्विचयार्ड			648 एमवीएआर

4. परियोजना की स्वीकृत पूँजीगत लागत (लाख रुपए में): 423,735.49 लाख
   पूँजीगत लागत की स्वीकृति देने वाला प्राधिकरण: सीईआरसी
5. वाणिज्यिक परिचालन की अनुसूचित तिथि– लागू नहीं (पहले से ही प्रवर्तित)
6. वाणिज्यिक परिचालन की वास्तविक तिथि:
   - परिसंपत्ति 1 और 2: 1.10.2013 (सीईआरसी द्वारा विचार किए गए अनुसार डीम्ड सीओडी)
   - परिसंपत्ति 3 : 30.3.2022
7. वाणिज्यिक परिचालन की तिथि पर पूँजीगत लागत (लाख रुपए में): 423,735.49 लाख (परिसंपत्ति की सीओडी के रूप में अनुमोदित पूंजी लागत)
8. टैरिफ का विवरण: (लाख रुपए में)

मानदंड	पिछले वर्ष के लिए टैरिफ (2018–19)	वर्षवार टैरिफ जो निर्धारित किए जाने की माँग की गई है				
		2019–20	2020–21	2021–22	2022–23	2023–24
परिसंपत्ति 1 + परिसंपत्ति 2 + परिसंपत्ति 3	76,921	77,628	74,619	72,030	70,118	67,375

मानदंड	पिछले वर्ष के लिए टैरिफ (2023–24)	वर्षवार टैरिफ जो निर्धारित किए जाने की माँग की गई है				
		2024–25	2025–26	2026–27	2027–28	2028–29
परिसंपत्ति 1 + परिसंपत्ति 2 + परिसंपत्ति 3	67,375	64,823	63,586	46,724	46,286	45,720

9. टैरिफ निर्धारण के लिए दायर याचिका की प्रति वेबसाइट www.adanienergysolutions.com पर डाली गई है.
10. याचिका में निहित टैरिफ निर्धारण के प्रस्तावों पर सुझाव और आपत्तियाँ, यदि कोई हों, लाभार्थियों सहित किसी भी व्यक्ति द्वारा इस नोटिस के प्रकाशन के 30 दिनों के भीतर याचिकाकर्ता को एक प्रति भेजने के साथ आयोग के ई–फाइलिंग पोर्टल के माध्यम से दायर की जा सकती हैं.

स्थान: अहमदाबाद
दिनांक:.05.12.2024

प्रशांत कुमार
(प्रमुख–विनियामक एवं वाणिज्यिक)